भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 923

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2026

एफआरए सेल की स्थापना

923. श्री राजकुमार रोतः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 324 जिला-स्तरीय वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) सेल और 17 राज्य-स्तरीय एफआरए सेल को मंजूरी दी गई है;
(ख) यदि हाँ, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और राज्य-वार सभी सेल की सूची का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त सेल के उद्देश्य के अनुरूप एफआरए दावों के निपटान में तेजी आई है और यदि हाँ, तो राज्य-वार एफआरए के तहत अनुमोदित, लंबित और खारिज किए गए दावों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान एफआरए के तहत प्राप्त नए आवेदनों की संख्या और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या का राज्य, वर्ष और जिला-वार ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) से (ग) केंद्र सरकार ने संस्थागत तंत्र और डेटाबेस को सुदृढ़ करके अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के व्यापक कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्यों में से एक के साथ **'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए)** शुरू किया। इस मिशन के तहत एक प्रमुख पहल उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य एवं **जिला/उप-मंडल स्तरों पर एफआरए सेलों की स्थापना** है जहां वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) क्रियान्वित (लागू) किया जा रहा है। राज्य स्तरीय एफआरए सेल में तीन नियोजित जनशक्ति (हायर्ड मैनपावर) अर्थात् कार्यक्रम समन्वयक (एफआरए), आईटी/डेटा/कार्यक्रम विशेषज्ञ और एमआईएस सहायक (एफआरए) हैं और जिला/उप-विभागीय स्तरीय एफआरए सेल में दो नियोजित जनशक्ति (हायर्ड मैनपावर) अर्थात् समन्वयक (एफआरए) और एमआईएस/एफआरए सहयोगी (एसोसिएट) हैं।

एफआरए सेल का उद्देश्य अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करने, अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आईएफआर और सीएफआर लाभार्थियों के लिए योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें, वन गांवों को राजस्व गांवों के साथ अभिसरण करने में सहायता करना और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है ताकि एफआरए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

जून 2025 में 18 राज्य सरकारों और 1 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 324 जिला स्तरीय एफआरए सेलों (प्रकोष्ठों), 90 उप-मंडल स्तरीय एफआरए सेलों (प्रकोष्ठों) और 17 राज्य स्तरीय

एफआरए सेलों को स्वीकृति दी। एफआरए सेलों की राज्य-वार अनुमोदित संख्या **अनुलग्नक** पर है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अनुमोदन के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, इस मंत्रालय की वेबसाइट - प्रभाग में (इन डिवीजन) → डीए जेजीयूए → पीएसी कार्यवृत्त → वर्ष और राज्य पर उपलब्ध हैं। इसका लिंक- https://tribal.nic.in/display_PAC_DAJAGUAMinuts.aspx है। इसके अलावा, जैसा कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित किया गया है, जहां एफआरए सेल स्थापित किए गए हैं, संवेदनशीलता और एफआरए रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता में तेजी लाई गई है।

(घ) 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित (लागू) किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान, अर्थात् 01.01.2021 से 01.01.2026 तक **कुल 9,32,834 दावे दायर किए गए हैं और कुल 6,82,263 दावों का निपटारा किया गया है।** पिछले पांच वर्षों के दौरान दायर किए गए दावों, वितरित किए गए स्वामित्व अधिकार पत्रों (शीर्षकों) और अस्वीकृत दावों के ब्यौरे के साथ निपटान किए गए दावों का वर्ष-वार ब्यौरा दिखाने वाला एक ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

रिपोर्टिंग अवधि	**दायर किए गए दावों की संख्या**	**वितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों (शीर्षकों) की संख्या**	**अस्वीकृत दावों की संख्या**	**निपटान किए गए दावों की संख्या**
01.01.2021 से 01.01.2022	37786	79466	-94464	-14998
01.01.2022 से 01.01.2023	175876	183804	70210	254014
01.01.2023 से 01.01.2024	103286	88126	26477	114603
01.01.2024 से 01.01.2025	492647	146153	98083	244236
01.01.2025 से 01.01.2026	123239	48253	36155	84408
कुल	**932834**	**545802**	**136461**	**682263**

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त दावों (व्यक्तिगत और सामुदायिक) की संख्या, स्वीकृत दावों की संख्या (वितरित स्वामित्व अधिकार पत्र (शीर्षक)) का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट - एफआरए-एमपीआर- https://tribal.nic.in/FRA.aspx पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक

"एफआरए सेल की स्थापना" के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 923 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

जून 2025 तक डीए जेजीयूए के तहत अनुमोदित वन अधिकार अधिनियम सेलों (प्रकोष्ठों) का विवरण

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित एफआरए सेलों की स्थिति**		
		राज्य स्तर पर अनुमोदित	**जिला स्तर पर अनुमोदित**	**उप-मंडल स्तर पर अनुमोदित**
1	आंध्र प्रदेश	1	15	0
2	असम	1	25	0
3	बिहार	1	9	0
4	छत्तीसगढ़	1	30	0
5	गुजरात	1	14	0
6	हिमाचल प्रदेश	1	12	0
7	जम्मू और कश्मीर	1	20	0
8	झारखंड	1	24	0
9	कर्नाटक	1	18	0
10	केरल	1	12	0
11	मध्य प्रदेश	1	55	0
12	महाराष्ट्र	0	26	0
13	ओडिशा	0	0	58
14	राजस्थान	1	18	0
15	तमिलनाडु	1	0	32
16	तेलंगाना	1	29	0
17	त्रिपुरा	1	8	0
18	उत्तर प्रदेश	1	1	0
19	उत्तराखंड	1	8	0
कुल		**17**	**324**	**90**

*****